विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 501 दिनांक : 9/2/18

—:: सूचना ::—

ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा सत्र 2017—18 के लिये उत्तरवर्ती कक्षाओं की सम्बद्धता/सम्बद्धता—निरंतरता का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाया गया है। वे महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 27 की धारा 13(3)(III) के अनुसार सम्बद्धता—निरंतरता की पात्रता नहीं रखते है। ऐसे महाविद्यालयों में यदि कोई छात्र अध्ययनरत है, तो अन्यत्र महाविद्यालय में जहाँ सीटें रिक्त हो छात्रों के स्थानान्तरण की विधिवत कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। जिससे कि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो सके।

ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017—18 के लिये निर्धारित सम्बद्धता—निरंतरता का शुल्क जमा करवा दिया गया है परंतु निर्धारित प्रपत्रों में विधिवत निरंतरता आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है वे तत्काल नियमानुसार विश्वविद्यालय में सम्बद्धता—निरंतरता आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा सत्र 2017—18 की सम्बद्धता—निरंतरता जारी नहीं की जा सकेगी। ऐसी परिस्थिति में महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 502 दिनांक : 9/2/18

प्रतिलिपि :—

01. अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन।
02. प्राचार्य, समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।
03. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।
04. निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. उप/सहायंक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. प्रभारी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
07. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उपरोक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
08. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकांदमिक)

Dextop/ZLS-2015/772